

मांग संख्या 01
मुख्य शीघ्र 2012

मद क्रमांक 1

राजभवन, रायपुर के लिये वाहन क्रय पर राशि ₹ 2.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 2 से 9

राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम 1987 की अनुसूची II में वृद्धि के फलस्वरूप राशि ₹ 8.94 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 8,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 10

माननीय विधायकों की जनसम्पर्क निधि की राशि में वृद्धि के फलस्वरूप राशि ₹ 184.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 11

माननीय मंत्रीगणों के शासकीय आवासों की विद्युत एवं जल व्यवस्था पर राशि ₹ 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12 से 15

नया रायपुर स्थित नवीन मंत्रालय भवन में स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्युत, जल व्यवस्था एवं अन्य आकस्मिक व्यय मद में राशि ₹ 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 16

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के गोपनीय सेवा व्यय हेतु राशि ₹ 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के लिये प्रतिस्थापन मद में वाहन क्रय हेतु राशि ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 18

मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय रायपुर के लिये एक नवीन वाहन क्रय पर राशि ₹ 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।